

## नागरिक अधिकार-पत्र

### परिवहन विभाग

#### हमारा ध्येय

परिवहन विभाग यातायात के साधन सुलभ कराने व मोटर वाहन अधिनियम एवं इसके तहत बनाये गए नियमों की पालना सुनिश्चित करने का कार्य करता है। वाहन जनित प्रदूषण कम करने के लिये कटिबद्ध है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने एवं विभागीय कर जमा कराने हेतु आधुनिक एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। मोटर यानों पर लगाये जाने वाले कर की पूर्ण वसूली करने हेतु भी परिवहन विभाग कटिबद्ध है।

#### सामान्य कार्य विधियों के लिये मानक:

#### वाहनों का पंजीयन

#### सक्षम अधिकारी: जिला परिवहन अधिकारी

काम में लगने वाला सामान्यतया समय (कार्य दिवसों में)

कार्य का विवरण	कार्य के लिये आवश्यक दस्तावेज	थनजी वाहन	व्यावसायिक वाहन
वाहनों का सामान्य पंजीयन	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रार्थना पत्र फार्म सं.20 पर</li><li>2. वाहन के बिल की मूल प्रति</li><li>3. प्रपत्र संख्या 21 में विक्रय पत्र</li><li>4. रोडवर्दी प्रमाण पत्र फार्म संख्या 22 पर</li><li>5. वैध बीमा की सत्यापित प्रति</li><li>6. निवास स्थान प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति</li><li>7. यदि वाहन हायर परचेज आदि पर हो तो वांछित सूचना प्रपत्र संख्या 34 में</li><li>8. फार्म 22ए पर बॉडी निर्माता द्वारा प्रमाण पत्र (यदि वाहन की बाडी चेसिस पर निर्मित की गयी है)</li><li>9. आयातित वाहन के लिये कस्टम क्लीयरेंस प्रमाण पत्र, आयातित लाइसेंस एवं बॉण्ड</li><li>10. आवश्यकतानुसार अस्थायी पंजीयन की मूल प्रति</li><li>11. यदि वाहन व्यावसायिक उद्देश्य के लिये है तो फिटनेस प्रमाण पत्र</li><li>12. निर्धारित फीस/कर जमा कराने की रसीद/बैंक चालान</li><li>13. वाहनों को निरीक्षण हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।</li></ol>	2	3
असाईन्मेंट	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 27 पर</li><li>2. कर रिपोर्ट</li><li>3. वाहन का मूल पंजीयन प्रमाण पत्र</li><li>4. यदि वाहन का हायर परचेज जारी रखना चाहे तो ऋण दाता का सहमति पत्र</li><li>5. अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म सं.28 पर</li><li>6. वाहन को निरीक्षण हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा</li><li>7. निर्धारित फीस जमा कराने की रसीद/चालान</li></ol>	45	60

स्वामित्व हस्तान्तरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 29 एवं 30 पार्ट प्रथम व द्वितीय (प्रपत्र संख्या 30 के पार्ट प्रथम पर बेचान कर्ता के राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी द्वारा हस्ताक्षर प्रमाणित होना आवश्यक है)</li> <li>2. वैध बीमा की सत्यापित प्रति</li> <li>3. मूल पंजीयन प्रमाण पत्र</li> <li>4. कर चुकता प्रमाण पत्र</li> <li>5. निर्धारित फीस एवं कर जमा कराने की रसीद/चालान</li> <li>6. यदि वाहन हायर परचेज पर हो तो ऋणदाता का अनापत्ति प्रमाण पत्र</li> <li>7. निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति</li> <li>8. यदि वाहन स्वामी की मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु प्रमाण पत्र तथा प्रार्थना पत्र फार्म सं.31 पर देय होगा एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रति</li> <li>9. यदि वाहन अन्य राज्य में पंजीकृत है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म संख्या 28 में</li> <li>10. चालान रिपोर्ट</li> <li>11. वाहन व्यावसायिक हो तो परमिट सरेन्डर की स्वीकृति रिपोर्ट अथवा हस्तान्तरण की प्राधिकार की अनुमति</li> </ol>	2 दिन (राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए) 45 कार्य दिवस (राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनों के लिए)	3 दिन (राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए) 60 कार्य दिवस (राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनों के लिए)
अनापत्ति प्रमाण-पत्र	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 28 तीन प्रतियों में</li> <li>2. कर चुकता प्रमाण पत्र</li> <li>3. मूल पंजीयन पुस्तिका (पंजीयन की प्रमाणित प्रति)</li> <li>4. वैध बीमा की सत्यापित प्रति</li> <li>5. पुलिस रिपोर्ट</li> <li>6. वाहन व्यावसायिक हो तो परमिट सरेन्डर की स्वीकृति रिपोर्ट</li> <li>7. चालान रिपोर्ट</li> </ol>	2	2
गिरवी अनुबंध हायर परचेज आदि की पंजीयन में प्रविष्टी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. हायर परचेज एग्रीमेंट फार्म सं.34 दो प्रतियों में</li> <li>2. मूल पंजीयन पुस्तिका</li> <li>3. निर्धारित फीस</li> </ol>	2	2
हायर परचेज टरमीनेशन	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. हायर परचेज टरमीनेशन फार्म सं.35 दो प्रतियों में (प्रपत्र सं.35 पर ऋणदाता एवं वाहन स्वामी के हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी द्वारा प्रमाणित)</li> <li>2. मूल पंजीयन पुस्तिका</li> <li>3. निर्धारित फीस</li> </ol>	2	2
कर चुकता प्रमाण पत्र	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रार्थना पत्र सादा कागज पर</li> <li>2. वाहन द्वारा जमा कर का आर.सी.आर. द्वारा सत्यापन</li> </ol>	7	7
पंजीयन प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी करना	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 26 पर</li> <li>2. एफ.आई.आर. की प्रति</li> <li>3. कर रिपोर्ट</li> <li>4. यदि हायर परचेज पर वाहन है तो ऋण दाता का सहमति प्रमाण पत्र</li> <li>5. निर्धारित फीस जमा कराने की रसीद/बैंक चालान</li> </ol>	2	2
अस्थायी पंजीयन	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रार्थना पत्र फार्म संख्या आर.एस. 4.1 पर</li> <li>2. मूल बिल की प्रति</li> <li>3. निर्धारित फीस</li> </ol>	1	1

**अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट**  
**सक्षम अधिकारी: अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)**

कार्य का विवरण	कार्य के लिये आवश्यक दस्तावेज	निजी वाहन
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट	<ol style="list-style-type: none"> <li>निर्धारित प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी को सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा</li> <li>ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणित फोटो प्रति</li> <li>नवीनतम तीन फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो</li> <li>पासपोर्ट की प्रमाणित फोटो प्रति</li> <li>बीजा की प्रमाणित फोटो प्रति</li> <li>यात्रा टिकट की प्रमाणित फोटो प्रति</li> <li>निर्धारित फीस जमा कराने की रसीद/चालान</li> </ol>	उसी दिन

**ड्राइविंग लाइसेंस**  
**सक्षम अधिकारी: जिला परिवहन अधिकारी**

कार्य का विवरण	कार्य के लिये आवश्यक दस्तावेज	निजी वाहन	व्यावसायिक वाहन
लर्निंग लाइसेंस जारी करना	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 2 के साथ प्रार्थी को सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा</li> <li>उम्र प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति</li> <li>निवास स्थान प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति</li> <li>निर्धारित फीस</li> <li>तीन नवीनतम फोटोग्राफ</li> <li>16 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य आयु वालों को अभिभावक/संरक्षक की सहमति फार्म सं.2 पर</li> <li>व्यावसायिक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस हेतु कम से कम एक वर्ष पुराना वैध, हल्की वाहन लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत करनी होगी</li> </ol>	2	2
स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 4 के साथ प्रार्थी को सक्षम अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होना होगा</li> <li>वैध लर्निंग लाइसेंस</li> <li>तीन नवीनतम फोटोग्राफ</li> <li>निर्धारित फीस जमा कराने की रसीद/चालान</li> <li>व्यावसायिक लाइसेंस के लिए फार्म सं.5 पर मोटर चालक प्रशिक्षण स्कूल प्रमाण पत्र</li> </ol>	2	3
डुप्लीकेट लाइसेंस	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रार्थना पत्र फार्म सं.2.3 पर</li> <li>पाँच रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र</li> <li>निर्धारित फीस</li> <li>दो नवीनतम फोटोग्राफ</li> </ol>	3	3

कंडक्टर लाइसेंस	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रार्थना पत्र फार्म संख्या आर.एस. 3.1 पर</li> <li>2. रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा जारी फर्स्ट एड प्रमाण पत्र</li> <li>3. तीन नवीनतम फोटोग्राफ</li> <li>4. निर्धारित फीस</li> <li>5. पुलिस द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र</li> <li>6. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र</li> <li>7. मेडिकल सर्टीफिकेट किसी राजकीय डॉक्टर द्वारा फार्म संख्या आर.एस. 3.2 पर</li> </ol>	—	2
डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस जारी करना	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 3.7 पर</li> <li>2. शपथ पत्र</li> <li>3. निर्धारित फीस</li> <li>4. दो नवीनतम फोटोग्राफ</li> </ol>	—	2
लाइसेंस का नवीनीकरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 9 पर</li> <li>2. तीन नवीनतम फोटो ग्राफ</li> <li>3. मेडिकल सर्टीफिकेट 40 वर्ष तथा अधिक आयु वालों के लिए एवं समस्त व्यावसायिक लाइसेंस धारकों के लिए फार्म सं.1ए पर</li> <li>4. निर्धारित फीस जमा कराने की रसीद/बैंक चालान</li> </ol>	3 कार्य दिवस (उसी जिले से जारी लाइसेंस के लिए) 45 दिवस (अन्य जिले/राज्य से जारी लाइसेंस के लिए)	3 कार्य दिवस (उसी जिले से जारी लाइसेंस के लिए) 45 दिवस (अन्य जिले/राज्य से जारी लाइसेंस के लिए)

**वाहनों की फिटनेस जांच**  
**सक्षम अधिकारी: जिला परिवहन अधिकारी**

कार्य का विवरण	कार्य के लिये आवश्यक दस्तावेज	निजी वाहन	व्यावसायिक वाहन
फिटनेस	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रार्थना पत्र संख्या 4.6 व 4.8 के साथ वाहन को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा</li> <li>2. निर्धारित फीस जमा कराने की रसीद/बैंक चालान</li> <li>3. बीमा की वैधता अंकित करें</li> <li>4. प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र</li> <li>5. कर चुकता रिपोर्ट</li> </ol>	—	1
डुप्लीकेट फिटनेस	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. सादा कागज पर प्रार्थना पत्र</li> <li>2. शपथ पत्र</li> <li>3. निर्धारित फीस जमा कराने की रसीद/बैंक चालान</li> </ol>	—	2

**वाहनों को टोकन जारी करना**  
**सक्षम अधिकारी: जिला परिवहन अधिकारी**

कार्य विवरण	का	कार्य के लिये आवश्यक दस्तावेज	निजी वाहन	व्यावसायिक वाहन
टोकन जारी करना	जारी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र</li> <li>2. मूल दस्तावेज एवं उनकी सत्यापित फोटो प्रतियाँ निम्नानुसार संलग्न करेंगे</li> <li>3. वैध परमिट पार्ट बी</li> <li>4. वैध फिटनेस प्रमाण पत्र</li> <li>5. वैध बीमा प्रमाण पत्र</li> <li>6. पुराना टोकन (मूल प्रति संलग्न करें)</li> <li>7. मूल प्रति टैक्स जमा की रसीद/बैंक चालान पार्ट 4 जी</li> <li>8. पंजीयन पुस्तिका</li> </ol>	—	2

**प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र**  
**सक्षम अधिकारी: जिला परिवहन अधिकारी**  
**प्राधिकृत जांच केन्द्र**

कार्य विवरण	का	कार्य के लिये आवश्यक दस्तावेज	निजी वाहन	व्यावसायिक वाहन
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विभाग द्वारा निर्धारित डीलर द्वारा 6 माह के लिये जारी पेट्रोल वाहनों हेतु निर्धारित मानक : (अ) पेट्रोल चलित दो पहिया, तिपहिया वाहन – कार्बन मोनो ऑक्साइड 4.5 प्रतिशत आयन्स (ब) पेट्रोल चलित चार पहिया वाहन – कार्बन मोनो ऑक्साइड 3 प्रतिशत आयन्स</li> <li>2. डीजल वाहनों हेतु निर्धारित मानक: डीजल वाहन अधिकतम स्मोक डेनसिटी 65 प्रतिशत एचएसयू</li> </ol>	1	1

## परमिट जारी करना

<p><b>नये परमिट</b></p> <p>(ए) नॉन टैम्परेरी परमिट</p>	<p><b>(अ) निर्धारित प्रपत्र</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टैज कैरिज-प्रपत्र संख्या 5.1</li> <li>2. कान्ट्रेक्ट कैरिज -</li> <li>(क) ट्यूरिस्ट परमिट - फार्म सं.45</li> <li>(ख) ऑल राजस्थान - प्रपत्र 5.3</li> <li>3. प्राइवेट सर्विस व्हीकल - प्रपत्र 5.6</li> <li>4. भार वाहन</li> <li>(क) नेशनल परमिट - फार्म सं.48</li> <li>(ख) ऑल राजस्थान - प्रपत्र 5.7</li> </ol> <p><b>(ब) आवश्यक दस्तावेज</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निर्धारित फीस</li> <li>2. कर चुकता रिपोर्ट</li> <li>3. वैध वाहन बीमा की प्रति</li> <li>4. पते का प्रमाण</li> <li>5. फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति</li> <li>6. पंजीयन पुस्तिका की प्रति</li> </ol>
<p>(ब) टैम्परेरी परमिट</p>	<p><b>(अ) निर्धारित प्रपत्र - प्रपत्र संख्या 5.18</b></p> <p><b>(ब) आवश्यक दस्तावेज</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निर्धारित फीस</li> <li>2. कर चुकता रिपोर्ट</li> <li>3. यदि अन्य अनुज्ञा पत्र से आच्छादित है तो उसकी सत्यापित प्रति।</li> </ol>
<p><b>नवीनीकरण</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदन पत्र फार्म सं.5.20 में</li> <li>2. कर चुकता रिपोर्ट</li> <li>3. फिटनेस की प्रति</li> <li>4. वैध बीमा की प्रति</li> <li>5. परमिट पार्ट-1 की प्रति</li> <li>6. निर्धारित शुल्क</li> <li>7. वित्त पोषक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र</li> </ol>
<p><b>डुप्लीकेट</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रार्थना पत्र सादा पेपर पर</li> <li>2. कर चुकता प्रमाण-पत्र</li> <li>3. शपथ पत्र-अनुज्ञापत्र खोने की अवस्था में।</li> <li>4. यदि परमिट जीर्ण शीर्ष अवस्था में हैं तो मूल रूप में संलग्न करना होगा।</li> <li>5. निर्धारित फीस</li> </ol>
<p><b>समयावधि</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. यदि नये अनुज्ञापत्र के प्रार्थना पत्र पर सदस्य प्राधिकार द्वारा परिचलन पत्र के जरिये विचार किया जाता है तो नियम 5.6 के अनुसार निर्धारित अवधि</li> <li>2. यदि आर.टी.ए. की बैठक में विचार किया जाता है तो प्राधिकार के निर्णय अनुसार</li> <li>3. यदि प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव या अतिरिक्त सचिव द्वारा अनुज्ञापत्र स्वीकृत/नवीनीकरण किये जाते हैं तो अधिकतम सात दिन में।</li> <li>4. टैम्परेरी परमिट (यू/एस 88(8)) एवं डुप्लीकेट परमिट उसी दिन जारी किया जावेगा।</li> </ol>

**नोट :-**

1. स्वीकृति के पश्चात् सभी प्रकार के नॉन टैम्परेरी परमिट प्राप्त करने हेतु फार्म संख्या - 5.19 में आवेदन करने के साथ पूर्व में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों की मूल प्रति संलग्न की जावें।
2. उक्त वाहन यदि कम्पनी/फर्म के नाम हो तो उनकी मैमोरेंडम आफ एसोसिएशन/कापी आफ पार्टनर शिप डीड / प्रोपराईटरशिप संलग्न करना होगा।